

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या
11/56/2023

रजि0 नम्बर
2023/402

प्रवेश तिथि
26.07.2023

निर्णय दिनांक
12.03.2025

1. ओम प्रकाश राजोरिया पुत्र हृदय सिंह राजोरिया,
2. श्रीमती अनिता रजनी पत्नी श्री ओम प्रकाश राजोरिया जाति स्वर्णकार निवासीयान 267 आर्य नगर, स्कीम नं. 01 अलवर राज0।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार अलवर, जिला अलवर राज0।
2. श्रीमती रेखा पत्नी स्व0 श्री चन्दन सिंह जाति लोहिया,
3. विक्रम सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति लोहिया,
4. लक्ष्य पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह जाति लोहिया,
5. गौरव पुत्र स्व0 श्री चन्दन सिंह जाति लोहिया,
निवासीयान लोहिया की प्याऊ, बड़ पीपली, ग्राम भाखेड़ा, तहसील व जिला अलवर राज0,
हाल निवासीयान मन्नी का बड़, मनुमार्ग का तिराया अलवर राज0।

—रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरुद्ध नामा0 सं0 801 आदेश
दिनांक 18.02.2020 तहसीलदार
अलवर, जिला अलवर राज0।

उपस्थित:-

- 01—श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल, श्री मनमोहन शर्मा
- 02—श्री दीपक मीना (राजकीय अभिभाषक)
- 03—श्री मूलचन्द चौधरी



- वकील अपी0
- वकील रेस्पो0 सं0 1
- वकील रेस्पो0

—:निर्णय:-

वकील अपीलाण्ट्स ने यह अपील विरुद्ध तहसीलदार अलवर के निर्णय दिनांक 18.02.2020 जिसके द्वारा नामान्तकरण संख्या 801 वाके ग्राम भाखेड़ा तहसील व जिला अलवर स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीमान् तहसीलदार साहब, अलवर के आलोच्य निर्णय के खिलाफ यह अपील माननीय न्यायालय के श्रवण योग्य है। अपीलाधीन आलोच्य निर्णय दिनांक 18.02.2020 से अपील साधरणतः अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अपीलाण्ट्स के कब्जे काशत खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 200 रकबा 0.09 है0 व 255 रकबा 0.47 है0, 199 रकबा 0.11 है0, 206 रकबा 0.47 है0 वाके ग्राम भाखेड़ा तहसील व जिला अलवर में स्थित है, जिस आराजी बाबत पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 801 दिनांक 18.02.2020 को "मुताबिक डिक्री व नामान्तकरण सं0 799 में श्रीमान् तहसीलदार महोदय अलवर द्वारा दिये गये आदेशानुसार आज नामान्तकरण दर्ज किया जाकर जाँच एवं उचित आदेशार्थ श्रीमान् निरीक्षक (भू0अ0) भूगौर की सेवा में पेश है।" इसके बाद भू0अ0 निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट में के कालम में उनके द्वारा "मीलान किया मुताबिक डिक्री व नामा0 सं0 799 में श्रीमान् टीडीआर (तहसीलदार) के आदेश अनुसार अंकन सही है"।

उपरोक्त नामान्तकरण के पीछे "मा0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 27.01.20 की पालना में नामा0 सं0 799 का भाग मानते हुए मुताबिक रिपोर्ट प0ह0 केसरपुर व आईएलआर भूगौर नामा. स्वीकार है।" "एस.डी. तहसीलार अलवर दिनांक

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

यह अपास्त... मन्त्रय...
18-02-2020" दर्ज किया गया है। आलोच्य निर्णय दिनांक 18.02.2020 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अलवर कतई विधि विरुद्ध, अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायिक प्रक्रिया एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं तथ्यों व मौका कब्जा व राजस्व रिकॉर्ड के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है।

आराजी खसरा नंबर 200 रकबा 0.09 है०, 255 रकबा 0.47 है० तथा 199 रकबा 0.11 है० का मिन अपीलाण्ट सं०1 काबिज खातेदार काशतकार है एवं खसरा नंबर 206 रकबा 0.47 है० का मिन अपीलाण्ट सं०2 काबिज खातेदार काशतकार है। वर्तमान तक के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में अपीलाण्ट्स का नाम खातेदार की हैसियत से अंकित चला आ रहा है और काबिज चले आ रहे हैं। उक्त खसरा नम्बरान से रेस्पाडेन्ट सं०2 ला० 5 का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब ने बिना राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का अवलोकन किए और बिना मौके का निरीक्षण किये कतई विधि विरुद्ध व मनमाने रूप से आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो कि अपास्त किए जाने योग्य है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी साबिक व वर्तमान में अपीलाण्ट्स का नाम बतौर खातेदार दर्ज चला आ रहा है। उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब अलवर ने भी राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन नहीं करते हुए नामान्तकरण कार्यवाही में अपीलाण्ट्स को को पक्षकार बनाने के आदेश नहीं दिये और न ही अपीलाण्ट्स को नोटिस देकर सुनवाई हेतु तलब किया, न कोई सुनवाई का अवसर दिया तथा सरासर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की अवेहेलना की है। जबकि जमाबन्दी वगैरा में अपीलाण्ट्स के नाम का अंकन खातेदारी की हैसियत से अंकित है और जो इन्द्राज निर्णय दिनांक 18.02.2020 तक चला आ रहा है। फिर भी अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर न देते हुए आलोच्य निर्णय पारित कर दिया, जो स्पष्ट रूप से न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों की अवेहेलना है और ऐसा आदेश विधि व प्रक्रिया के खिलाफ एवं मौके कब्जे एवं गत रिकॉर्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है। नामान्तकरण पटवारी हल्का ने मुताबिक डिक्री के दर्ज करना बताया है। किन्तु उक्त कथित डिक्री किस न्यायालय की है, अदालत का नाम, मुकदमे का अनुवान, मुकदमा नंबर, डिक्री की तारीख का भी उल्लेख नहीं किया है एवं उक्त नामान्तकरण दर्ज कर उचित आदेशार्थ निरीक्षक भू०अ० को भेजा है। जबकि नामान्तकरण को तहसीलदार साहब के समक्ष पेश करना चाहिये था। आई.एल.आर. भू०अ० निरीक्षक ने भी केवल उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 27.01.2020 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 06.02.2020 की पालना में नामान्तकरण दर्ज किया है। उपखण्ड अधिकारी अलवर एवं तहसीलदार साहब का ऐसा कोई आदेश ही नहीं है, जिसमें आराजी खसरा नंबर 200 का रकबा 0.09 है० के स्थान पर 0.06 है० एवं खसरा नंबर 210 का रकबा 0.97 है० के स्थान पर 0.13 है० करने के आदेश सादर किये गये हों। यह समस्त कार्यवाही आई.एल.आर. (भू०अ०नि०) द्वारा अंकित की गई है। जबकि ऐसा उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा किसी भी आदेश में अंकित नहीं किया गया है। नामान्तरण कार्यवाही में आईएलआर ने ऐसा बिना किसी आदेश के लिखा है, जो विधि विरुद्ध होने के कारण पढ़े जाने योग्य नहीं है।

पटवारी हल्का की अस्पष्ट रिपोर्ट एवं आईएलआर की गलत जॉच रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 27.01.2020 के विरुद्ध तहसीलदार साहब ने यह नामान्तकरण स्वीकार करने का आदेश दिया है, जो सरासर विधि विरुद्ध एवं मौके कब्जे व गत रिकॉर्ड के खिलाफ होने के कारण एवं स्पष्ट आदेश नहीं होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है, जो अपास्त फरमाया जावे एवं बिना उक्त आदेश के पटवारी हल्का एवं आईएलआर द्वारा अपीलाण्ट्स की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 255 रकबा 47 ऐयर, 199 रकबा 11 ऐयर, 206 रकबा 47 ऐयर के रकबे में रकबा घटाकर यानि कम करके रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला० 5 के ऐयर के रकबे में नाम उक्त नामान्तकरण संख्या 801 की परत के खाना

नंबर 2 व 3 एवं 8 व 9 में खसरा नंबर 1059/255 रकबा 0.03 है० व 1056/199 रकबा 0.40 है०, 1057/206 रकबा 0.22 है० व 1058/255 रकबा 0.22 है० के तितम्बे नम्बर बनाकर अंकित किए हैं, जो अंकन बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के किया गया है, जो विधि विरुद्ध है तथा मौके, कब्जे व रिकॉर्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है, जो निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला० 5 के अनुचित प्रभाव में आकर एक ही दिन में यानि दिनांक 18.02.2020 को ही पटवारी हल्का ने उक्त नामान्तकरण को दर्ज किया, उसी दिन आईएलआर (भूअ० निरीक्षक) ने जॉच रिपोर्ट भी करदी और उसी दिन तहसीलदार साहब ने आलोच्य निर्णय भी पारित कर दिया। इस तरह यह समस्त कार्यवाही एक ही दिन दिनांक 18.02.2020 को की गई है, जिससे भी यह स्पष्ट साबित हो रहा है कि उक्त राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पाडेन्ट सं० 2 ला० 5 के अनुचित व बेजा प्रभाव में आकर कतई विधि विरुद्ध मौके व कब्जे तथा राजस्व रिकॉर्ड के खिलाफ बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलान्ट्स को बिना सुने उक्त नामान्तकरण को निर्णित किया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् है तथा उपरोक्त आधारों पर आलोच्य आदेश अपास्त होने योग्य है, जो अपास्त फरमाया जावे। श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी अलवर ने दिनांक 27.01.2020 को निर्णय किया है, जिसमें केवल मात्र नक्शा दुरुस्ती बाबत आदेश सादिर किये गये हैं, जो भी गलत एवं मौके कब्जे व गत रिकॉर्ड के खिलाफ दिया है, जिसकी अपील अपीलान्ट्स ने न्यायालय संभागीय आयुक्त के यहाँ प्रस्तुत की हुई है, जिसमें स्थगन आदेश भी दिनांक 19.02.2020 को जारी कर दिया गया है। उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 27.01.2020 केवल नक्शा दुरुस्ती बाबत है अर्थात् उक्त आदेश जमाबन्दी में खातेदारों के रकबे को कम-ज्यादा करने की बाबत नहीं हैं। लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय से अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजी का रकबा ही कम करके रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ला० 5 के नाम करने के आदेश दे दिये, जो स्पष्ट रूप से विधि विरुद्ध मौके कब्जे व गत रिकॉर्ड तथा एसडीओ साहब के आदेश के खिलाफ होने के कारण आलोच्य निर्णय निरस्त होने योग्य है।

उक्त नामान्तकरण का निर्णय दिनांक 18.02.2020 को पारित किया गया है लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि उक्त निर्णय के पारित होने से पूर्व ही दिनांक 17.02.2020 को पटवारी हल्का व आईएलआर भूअ०नि० ने नक्शा तैयार कर लिया था, जिससे अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 199 का तितम्बा नम्बर 1056/199 अलग से बनाकर एवं खसरा नंबर 206 का तितम्बा नम्बर 1057/206 एवं खसरा नम्बर 255 का तितम्बा नम्बर 1058/255 अलग से बना दिया, जिन खसरा नम्बरान की एक-दूसरे से काफी दूरी दर्शायी गयी है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त समस्त कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों ने नामान्तकरण आदेश के निर्णय पारित होने से एक दिन पहले ही करदी। इस तरह साफ तौर पर विधिक प्रक्रिया की अवेहलना करते हुए एवं बिना मौके पर अपीलान्ट्स को सूचित किये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की खुल्लम खुल्ला अवेहलना की गई है, जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् है और आलोच्य नामान्तकरण संख्या 799 में पारित आलोच्य निर्णय एवं उक्त नक्शा में किया गया परिवर्तन निरस्त होने योग्य है, जो निरस्त फरमाया जावे। आलोच्य नामान्तकरण में जो अंकन किया गया है, वह किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किया गया है, इसलिए वह सरासर विधि विरुद्ध मौके कब्जे के खिलाफ एवं गत रिकॉर्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर आलोच्य निर्णय दिनांक 18.02.2020 न्यायालय तहसीलदार, अलवर, बाबत इन्तकाल संख्या 801 वाके ग्राम भाखेड़ा तहसील व जिला अलवर को पूर्णतः निरस्त फरमाया जावे तथा अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजी के मौका रिकॉर्ड की स्थिति को पूर्ववत् यथावत् रखे जाने के आदेश भी सादिर फरमाये जावें।


4/2/2020
श्री अशोक जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

रेसपो० सं० 1 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी० खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया व वकूलाय उभयपक्ष की बहस पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.02.2020 इन्तकाल संख्या 801 वाके ग्राम भाखेड़ा तह० व जिला अलवर आराजी खसरा नंबर 1059/255 रकबा 0.03 है०, 200 रकबा 0.09 है०, 1056/199 रकबा 0.40 है०, 1057/206 रकबा 0.22 है०, 1058/255 रकबा 0.22 है० व 210 रकबा 0.97 है० को मुताबिक निर्णय दिनांक 27.01.2020 उपखण्ड अधिकारी अलवर की पालना में दर्ज कर स्वीकार किया गया। जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में प्रस्तुत की गई, जिस अपील को माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2021 को खारिज कर दी गई, जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा दिनांक 28.06.2023 को अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त के आदेश दिनांक 04.08.2021 एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.01.2021 खारिज किये गये व प्रा० पत्र धारा 136 एलआर एक्ट निरस्त किये गए हैं। जिससे माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 28.06.2023 की अनुपालना अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर के द्वारा दर्ज नामान्तकरण भी दुरुस्त किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर का निर्णय दिनांक 18.02.2020 नामा० सं. 801 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्याया० तहसीलदार अलवर को निर्देश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नंबर 1059/255 रकबा 0.03 है०, 200 रकबा 0.09 है०, 1056/199 रकबा 0.40 है०, 1057/206 रकबा 0.22 है०, 1058/255 रकबा 0.22 है० व 210 रकबा 0.97 है० के मौका रिकॉर्ड की स्थिति को पूर्ववत यथावत रखे जाने की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)